



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230460
CG-DL-E-16102021-230460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]
No. 466]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

फा. सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती नियम/2011/भाग 1.— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्वारा अधिसूचना संख्या एफ.सं. 37-3/विधिक (iii)/2007 दिनांक 01 नवंबर, 2007 द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों में आंशिक संशोधन करते हुए तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 8 की उप-धाराओं (1) और (2) के साथ पठित धारा 23 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है।

इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह 'क' 'ख' और 'ग' के पद) (छठा संशोधन) भर्ती विनियम, 2021 है। ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए तालिका के कॉलम 1-14 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

क्रमांक	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा वर्षों के जोड़ का लाभ स्वीकार्य है
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
02	प्रवर श्रेणी लिपिक	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8.	9.	10.	11.
लागू नहीं	लागू नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है। परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति की अवसंरचना	
12.	13.	14.	
कोई बदलाव नहीं	पदोन्नति: अवर श्रेणी लिपिक/स्वागतकर्ता/डाटा प्रविष्टि प्रचालक—III में से, जिन्होंने नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर रु. 3050-4590 के ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: (क) (i) केंद्र या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या पीएसयू या स्वायत्त निकायों में समान पदों या नियमित आधार पर अधिकारी: या (ii) रु. 3050-4590 के वेतनमान में अपने पैतृक काडर/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित प्रशासन/लेखा मामलों का अनुभव तथा भारत सरकार के नियमों/विनियमों तथा टिप्पण एवं प्रारूपण का ज्ञान तथा (ख) कॉलम 9 में निर्दिष्ट सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता प्राप्त हो	कोई बदलाव नहीं	

अधिसूचना की अन्य सारी विषयसामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./327/2021-22]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2021

F.No. 3-24/Admn./Estt./Amend/RRs/2011/Vol. I.—In partial modification of the Recruitment Regulation notified by the Council vide Notification F.No.37-3/Legal(iii)/2007 dated 1st November 2007 and in exercise of power conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 23 read with Sub-section (1) & (2) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following amendment to these Regulations.

These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Group “A” “B” and “C” Post) (6th Amendment) Recruitment Regulations, 2021. These will come in force from the date of its publication in the Official Gazette.

Column 1-14 of the table for the post of Upper Division Clerk in the existing Recruitment Regulations will read as under:

S. No.	Name of the post	Number of the post	Classification	Scale of the pay	Whether selection or non-selection	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
02	Upper Division Clerk	No Change	No Change	No Change	No Change	No Change

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications prescribed for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply, in the case of promotees	Period of probation, if any
8.	9.	10.	11.
Not applicable	Not applicable	No Change	No Change

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. period of probation, if any.	Composition of Departmental Promotion Committee or Selection Committee
12.	13.	14.
No Change	Promotion: Lower Division Clerk/Receptionist/ Data Entry Operator Gr. - III with eight years' service in the grade Rs. 3050-4590 rendered after appointment thereto on regular basis Deputation: (a) (i) Officers holding analogous posts or regular basis in Central or State Government or Universities or PSU or Autonomous bodies : or (ii) with Five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 3050-4590 in the parent cadre/ department with experience in Administration / Accounts matter and knowledge of Government of India rules/regulations and noting and drafting; and (b) possessing educational qualifications for direct recruitment under column 9.	No Change

All other paras remain unchanged.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./327/2021-22]